

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प. 14(8)चिस्वा/2/19

जयपुर, दिनांक : 22.AUG 2019

आदेश

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत अनुज्ञापन अधिकारी (Licensing Authority) के निर्णयों के विरुद्ध अपील राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है।


अतः भविष्य में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत अनुज्ञापन अधिकारी (Licensing Authority) के निर्णयों के विरुद्ध अपील शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग को प्रस्तुत की जावेंगी, जिनका निस्तारण विभाग के स्थायी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—६—
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
4. मिशन निदेशक, एन.एच.एम को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियां जो आपके कार्यालय में संधारित हैं, मय सूची शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2) विभाग को 3 दिवस में भिजवाये जाने का श्रम करावे।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, जयपुर।
6. निदेशक(जनस्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
7. औषधि नियंत्रक—प्रथम/द्वितीय, औषधि नियंत्रण संगठन, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक।
9. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी।
10. रक्षित पत्रावली।


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव